Helpline **1064**

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

➢ **टोंक में विजेन्द्र कुमार मीना वरिष्ठ सहायक कार्यालय उप पंजीयक टोंक को 1,000/- रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार।**

जयपुर, 25 मार्च, मंगलवार। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. चौकी टोंक द्वारा आज कार्यवाही करतें हुए आरोपी श्री विजेन्द्र कुमार मीना निवासी ग्राम पोस्ट छोटी उदई पुलिस थाना वजीरपुर तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर हाल वरिष्ठ सहायक कार्यालय उप पंजीयक टोंक को 1,000/- **रूपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक पुलिस श्री डॉ. रवि प्रकाश मेहरड़ा ने बताया कि ए.सी.बी. चौकी टोंक को एक शिकायत इस आशय की मिली की आरोपी द्वारा परिवादी के भारतीय मुद्रांक विक्रेता लाईसेन्स नवीनीकरण करवाने की एवज में 2,000/- रूपये रिश्वत राशि मांग कर परिवादी को परेशान किया जा रहा था। दिनांक 24.03.2025 को वक्त मांग सत्यापन आरोपी द्वारा 1500 रूपये रिश्वत राशि लेना सहमत होने पर आरोपी ने मांग सत्यापन के दौराने परिवादी से 500 रूपये प्राप्त किये तथा शेष राशि 1000/- रूपये दिनांक 285.03.2025 को देने हेतु परिवादी को कहा गया।

जिस पर एसीबी अजमेर रेंज **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री कालुराम रावत** के सुपरविजन में एसीबी टोंक के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री झाबर मल** द्वारा मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करतें हुए आरोपी श्री विजेन्द्र कुमार मीना निवासी ग्राम पोस्ट छोटी उदई पुलिस थाना वजीरपुर तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर हाल वरिष्ठ सहायक कार्यालय उप पंजीयक टोंक को 1,000/- **रूपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

आरोपियों से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।